न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./121/2016/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. डालूराम पुत्र पूनमाराम 2. चिमाराम पुत्र पूनमाराम 3. पूरोंदेवी पत्नी पूनमाराम 4. हिमताराम पुत्र रायसिंगाराम 5. रूपाराम पुत्र रायसिंगाराम जातियान जाट निवासी अणदे का तला, सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर	1. लालाराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर 2. गौतमचन्द पुत्र शंकरलाल कौम ओसवाल निवासी सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर 3. पुरूषोतमदास पुत्र बंशीधर 4. अनलि कुमार पुत्र बंशीधर 5. राकेशकुमार पुत्र बंशीधर 6. कमलादेवी पत्नी बंशीधर जातियान ओसवाल 7. नवलीदेवी पत्नी बालाराम जाति जाट निवासी नोखडा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 8. सुरताराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला, सनावडा तहसील बाड़मेर 9. हिमताराम पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी सारणों का तला, सनावडा तहसील बाड़मेर 10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सनावडा जरिय मैनेजर 11. तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2013 बअनवान लालाराम बनाम डालूराम वगै में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—18.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी की भूमि मौजा अणदे का तला में खसरा नम्बर 678/623 रकबा 06 बीघा, खसरा नम्बर 679/606 रकबा 29.15 बीघा, खसरा नम्बर 681/606 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकबा 49.10 बीघा, खसरा नम्बर 684/581 रकबा 08.08 बीघा तथा मौजा मलोणियों की ढाणी में खसरा नम्बर 8 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 805/693 रकबा 114.11 बीघा का आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर वहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी वहस में वताया कि अपीलांटगण ने वादग्रस्त भूमि का वंटवाडा करवाने हेतु अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 ने एक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जिस राजीनामे अनुसार अपीलांटगण को वंटवाड़े में कुल रकवा 113.11 वीघा भूमि देना तय किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामे के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाड़मेर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर हल्का पटवारी व आर आई ने अपीलांटगण को विना कोई सूचना दिये व विना नोटिस दिये मात्र उतरदाता संख्या 01 के हिस्से अधिक भूमि रखी गई तथा एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी हनन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं करने के संबंध में पूर्व जानकारी नहीं थी परन्तु वर्तमान में अपीलांटगण ने अपनी भूमि पर ऋण लेने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबंदी व लट्ठा ट्रेस की प्रतियां प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने रकबा निकाल कर बताया जिस पर अपीलांटगण को राजीनामा के अनुसार भूमि का बंटवाड़ा नहीं करवाने की जानकारी हुई, जिस पर अपीलांटगण ने अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकले दिनांक 07.10.2016 को मांगी जो नकलें तैयार होकर दिनांक 27.10.2016 को अपीलांट को प्राप्त हुई तो अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंव सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.05.2014 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2013 वअनवान लालाराम बनाम डालूराम वगै में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर